न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 67 / 2025(GCMS 2025/341)
(RTI No. 2121542572683९३)

शैलेन्द्र कुमार तालणिया, एडवोकेट पता न्यायलय परिसर, रतनगढ़ जिला चुरू, राज. 331022 मोबाईल नम्बर 96806–56356

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शैलेन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि शैलेन्द्र कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

तहसील गंगानगर के सभी पटवार हल्कों में दिनांक 01 जनवरी 2020 से 1 अप्रैल 2025 तक राजस्व विभाग में कुल **कितने** पटवारी कार्यरत रहे, जिसके नाम कार्यक्षेत्र व कार्यकाल अतिरिक्त प्रभार सहित संक्षिप्त विवरण सूचीबद्ध उपलब्ध करवायें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगांगनगर ने अपने पत्रांक सू.का.अधि. / भू.अ. / 2025 / 7163 दिनांक 17.10.2025 से अवगत करवाया है उनके द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 4254 दिनांक 09.06.2025 से सूचना निम्नानुसार प्रेषित कर दी गई है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के द्वारा आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 20[illegible] के अन्तर्गत निम्न सूचना चाही गई है:

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 67 / 2025
(GCMS No. 2025/341)
(RTI No. : 21215425772683913)

	(1) तहसील श्रीगंगानगर के सभी पटवार हल्कों में दिनांक 1 जनवरी 2020 से 01 अप्रैल 2025 तक राजस्व विभाग में **कुल कितने पटवारी कार्यरत रहे,** जिसके नाम, कार्यक्षेत्र व कार्यकाल मय अतिरिक्त प्रभार सहित संक्षिप्त विवरण सूचीबद्ध उपलब्ध करवाये। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये आपके प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के द्वारा चाही गई सूचना सृजनात्मक श्रेणी की है। आप द्वारा यह अवगत नहीं करवाया गया है कि आपको किस कार्यालय के किस पत्र क्रमांक, दिनांक की आवश्यकता है। आप द्वारा चाही गई सूचना सृजनात्मक श्रेणी की होने के कारण आपको उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप सूचनाओं से सम्बन्धित किसी उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो रिकॉर्ड का कार्यालय समय में उपस्थित होकर नियमानुसार निरीक्षण कर सकते है। आप स्पष्ट रूप से अवगत करावें कि आपको किस कार्यालय के किस पत्र क्रमांक, दिनांक की प्रतिलिपियों की आवश्यकता है ताकि प्रतिलिपियां आपको उपलब्ध करवायी जा सके।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री ... तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को ... अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश / निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 67/2025
(GCMS No. 2025/341)
(RTI No. : 21215425726833)

विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **फिर भी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि** यदि अपीलार्थी वांछित सूचना से सम्बन्धित विवरण/दस्तावेज उपलब्ध करवा देवें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested